Cops issue 8,500 traffic challans on online plaints

Residents Post Violators' Pics On Social Media

Pawan.Tiwari1
@timesgroup.com

Vehicles stand across the zebra crossing in Chandigarh

Chandigarh: City residents are using social media to check cases of traffic violation on city roads. From January 2018 to June 18, more than 4,000 residents sent pictures of traffic violations on the Facebook page of the traffic police and their WhatsApp number. Acting on their complaints, traffic police issued around 9,000 Traffic Violation Information Slip (TVIS) on the addresses of violators.

Police urged city residents to upload maximum pictures of traffic violations on FB and WhatsApp. As per records with the traffic police, 4,126 people sent pictures of traffic violation on the traffic police Facebook page and Whatsapp number from January 1, 2018 to June 18. Traffic police issued 8,500 TVIS challans this year.

Police said on an average, around 21 persons sent more than 45 pictures of violations related to zebra crossing, driving without helmet, jumping red light and wrong parking on the police Facebook page and WhatsApp number every day. Police verify the pictures before issuing TVIS challans.

As per records, on several occasions, traffic police issued more than 200 TVIS challans in a day.

Most of the pictures receives are those of people driving without helmets and flouting zebra crossing rules. Police have also issued challans to those breaking traffic rules after getting pictures of violations from residents.

Police requested citizens to use the WhatsApp number and Facebook page for sharing of logical and meaningful traffic related suggestions, specific information about traffic congestion, specific information about road accidents and images of traffic violation with date, time and place of violation.

While police issued a large number of TVIS challans to violators, payment of fines has not been up to the mark. Now, police have sent the TVIS challans to courts for further action. UT police generally send TVIS challans to violators who live in the Tricity and not to other states.

On December 9, 2017, for the first time, police forwarded 210 TVIS challans to court for further action. All the 210 violators appeared in court and paid fine. Police had also requested courts to organise special lok adalats twice a month to clear pendency of such challans as thousands of them have not been cleared so far.

Times of India Dt: 25/06/2018

Case registerd against 4

CHANDIGARH: A case FIR No. 198 under section 147,148,325,506 IPC has been registered in police station 19, Chandigarh on the complaint of Deena Nath Residence of # 326, BDC, Sector-26, Chandigarh against Ramesh Chand, Guddu, Manjesh, Rohit, Prahlad and Chapa they all beaten/ threatened the complainant in Sadar Market, Sector-19, Chandigarh. Accused arrested in this case. Investigation of the case is in the progress. Action against Gambling/Satta Chandigarh Police arrested Shashi Kant Residence of # 263, colony No4, Industrial area, Phase-1, Chandigarh, while he was playing satta near # 132, Phase-1, BDC, Sector-26, Chandigarh and recovered cash Rs. 3820 from his possession. *DP*

Daily Post Dt: 25/06/2018

Drive against liquor consumption

CHANDIGARH: In continuation of a special drive against consuming liquor at public place on Saturday the drive was carried out at different parts of the city. Under this drive total 7 different cases under section 68-1(B) Punjab Police Act 2007 510 IPC got registered in different police stations of Chandigarh in which total 7 person's were arrested while consuming liquor at public place. All later on bailed out. The detail of police Stations in which cases Under section 68-1 (B) Punjab Police Act 2007 510 got registered police station IT park 2 cases, police station 491 case, police station 36 ,1 case, police station39 , 3 cases. This drive will be continuing in future, the general public is requested for not breaking the law. DP

Daily Post Dt: 25/06/2018

एचसीएस पेपर लीक मामले में मुख्यारोपी का भाई गिरफ्तार

कैंडीडेट्स को लाने और रकम मैनेज करने को कुलदीप बतौर शेडो करता था काम

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। एचसीएस पेपर लीक मामले में एसआईटी ने रविवार को मुख्य आरोपी सुनीता के भाई कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लंबे समय से प्रयासरत यूटी पुलिस की एसआईटी ने उसे नई दिल्ली के नजफगढ़ स्थित सुनीता के मकान के बजाय एक अन्य मकान से गिरफ्तार किया। कुलदीप ही मुख्यारोपी बहन सुनीता के साथ पूरे रैकेट का संचालन करता था। उस पर ही कैंडीडेट्स लाने और उनसे मोटी रकम इकट्ठी कर उसे मैनेज करने की जिम्मेदारी थी।

एसआईटी कुलदीप से पूछताछ कर रही है ताकि उन सभी कैंडीडेट्स का पता लगाया जा सके, जिन्हें कुलदीप लेकर आया और पैसे लिए। आरोपी के बैंक अकाउंट्स का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस टीम नई दिल्ली सहित उन सभी जगहों का पता लगाने में जुटी है, जहां कुलदीप ने मुख्यारोपी सुनीता सहित अन्यों के कहने पर कैंडीडेट्स से मिलकर उनसे पेपर लीक के एवज में मोटी रकम ली। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई खुलासे किए। आरोपी बीते नौ महीने से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने नजफगढ़ रेड मारी और उसे दबोचने में कामयाबी हासिल की। उम्मीद जताई गई है कि अब जल्द ही मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देर रात तक पुलिस आरोपी कुलदीप से शुरुआती चरण से लेकर रैकेट के अन्यों से उसके कनेक्शन, कॉल डिटेल, लोकेशन सहित अन्य तथ्यों की पड़ताल में जुटी रही।

रात 9.45 बजे अदालत पहुंचे ड्यूटी मजिस्ट्रेट 3 दिन का रिमांड

एचसीएस पेपर लीक जैसे गंभीर मामले के आरोपी कुलदीप की गिरफ्तारी पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट रविवार रात करीब सवा दस बजे जिला अदालत पहुंचे। पुलिस ने आरोपी से गहनता से पूछताछ, कैंडीडेट्स का पता लगाने, पैसे मैनेज करने और आरोपी के अकाउंट सहित अन्यों का पता लगाने के आधार पर अदालत से उसके तीन दिन के रिमांड की मांग की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमांड अवधि में कोई कमी रखे बगैर आरोपी को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है।

एचसीएस पेपर लीक का एक और आरोपी कुलदीप पुलिस गिरफ्त में।

09

महीने से था फरार, एक बार भी नहीं की पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन

देर रात पेशी...

- जिला अदालत में रात सवा दस बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट विशेष तौर पर पहुंचे
- आरोपी को दिया तीन दिन का पुलिस रिमांड

इनकी हो चुकी है गिरफ्तारी

हरियाणा में जजों की नियुक्ति को लेकर हुए एचसीएस (ज्यूडिशियल) पेपर लीक मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने मुख्यारोपी सुनीता की सेक्टर-18 स्थित राधा कृष्ण मंदिर में बने गेस्ट हाउस में रूममेट रही आरुषी (23 वर्ष) को 21 मई को गिरफ्तार किया था। अगले ही दिन कांग्रेसी नेता सुनील कुमार चोपड़ा उर्फ टीटू को बहादुरगढ़ स्थित फार्म हाउस से गिरफ्तार किया।

यह है मामला

मुख्यारोपी सुनीता। (फाइल)

पंचकूला के पिंजौर की निवासी सुमन ने एडवोकेट मंजीत सिंह के जरिये याचिका दायर कर कहा था कि हरियाणा ने एचसीएस ज्यूडिशियल के 109 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए याची ने भी अप्लाई किया था। परीक्षा की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन किया। इस दौरान उसकी दोस्ती एक लड़की सुशीला से हो गई। उसने गलती से याची को एक ऐसी ऑडियो क्लिप भेज दी, जिसमें वह अन्य लड़की से डेढ़ करोड़ में नियुक्ति की बात कर रही थी। जब याची ने सुशीला से पूछा तो उसने वो ऑडियो क्लिप डिलीट कर दी। जब जोर देकर पूछा गया तो पेपर लीक होने की बात पता चली। याची ने कहा उसे विश्वास नहीं हुआ इस स्तर की परीक्षा का पेपर लीक हो सकता है। सुशीला ने याचिकाकर्ता को छह सवाल भी बताए जो परीक्षा में आने थे। जब 16 जुलाई को परीक्षा हुई तो याचिकाकर्ता को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जो सवाल उसे बताये गए, वह परीक्षा में आये थे। याचिकाकर्ता ने अपने पति को इसकी जानकारी दी और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को और हाईकोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर दी।

इससे पूर्व हुआ येः अदालत ने आरुषि के मेडिकल के लिए बोर्ड गठित करने से किया इंकार

जिला अदालत ने एचसीएस पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरुषि गोयल के मेडिकल के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने से इंकार किया था। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से आरुषि की पुलिस रिमांड के दौरान थर्ड डिग्री टार्चर के आरोप संबंधी याचिका में मेडिकल बोर्ड गठित कर उसका मेडिकल कराने की याचिका खारिज की थी। आरुषि की ओर से पेश हुए वकील जेएस डडवाल ने आरोप लगाया था कि एसआईटी ने थर्ड डिग्री टार्चर देकर उससे अपनी मर्जी से स्टेटमेंट लिखवाई और खाली पेज पर साइन करवाए। आरोपी की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया था।

Amar Ujala Dt:25-06-2018

आठ सौ ग्राम गांजे सहित एक काबू

चंडीगढ़। सेक्टर-25 के श्मशान घाट के समीप से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को आठ सौ ग्राम गांजे ले जाते काबू किया है। आरोपी की पहचान सेक्टर-34 स्थित एक शोरूम के पास रहने वाले लेबरर बबलू मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उससे पूछताछ की ताकि पता लग सके कि आरोपी उससे बरामद नशा सामग्री कहां से लाकर किसे देने जा रहा था। साथ ही नशा तस्करी के गोरखधंधे में कितने समय से संलिप्त रहा है।

सट्टेबाज काबू, 3820 रुपये बरामद

चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित बीडीसी के फेज-1 से पुलिस ने एक व्यक्ति को सट्टा खेलते काबू किया। तलाशी में आरोपी के कब्जे से पुलिस को 3820 रुपये बरामद हुए। आरोपी की पहचान इंडस्ट्रियल फेज-1 की कालोनी नंबर-4 निवासी शशि कांत के रूप में हुई है। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

Amar Ujala Dt:25-06-2018

Six held for attacking man

Chandigarh: Six persons have been arrested for attacking a person at the Sadar market in Sector 19 here. According to the police, complainant Deena Nath, a resident of Bapu Dham Colony (BDC), Sector 26, reported that Ramesh Chand, Guddu, Manjesh, Rohit, Prahlad and Chapa thrashed and threatened him. The victim suffered injuries in the incident. The police were informed about the incident following which a case has been registered under Sections 147, 148, 325 and 506 of the IPC at the Sector 19 police station. TNS